

भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल ओ0गंज के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, ग्राम पंचायत कामतोन कांसिया में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु, परिक्षेत्र चिकलोद के वन कक्ष क्रमांक पी 801 की 0.044 हेक्टेयर वनभूमि, तथा परिक्षेत्र चिलवाहा, वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 429 की 0.083 हेक्टेयर एवं कक्ष क्रमांक आर. एफ. 428 की 0.034 हेक्टेयर, कुल 0.161 हेक्टेयर वनभूमि, आवेदक संस्थान बी.एस.एन.एल. भोपाल को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि :- 2 .1. 2021

स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर
(रवीन्द्र सक्सेना)
मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

[Signature]
2.1.2021

कार्यालय वन वृत्त, भोपाल

74 बंगले, इंदिरा निकुंज खेल परिसर, भोपाल

भोपाल, दिनांक

02/01/21
दिसम्बर-2020

क्रमांक/माचि/ 01
प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू प्रबंध)

म0प्र0 भोपाल

विषय:- जिला रायसेन, अंतर्गत ग्राम पंचायत कामतोन कांसिया वनमंडल औबेदुल्लागंज में ब्राडबेन्ड कनेक्टिविटी हेतु आष्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 0.161 हेक्टेयर वनभूमि, बी.एस.एन.एल. भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।
(आन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/43377/2019)

संदर्भ:- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ओ0गंज का पत्र क्रमांक/माचि/3437 दिनांक 29/12/2020

-0-

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ओ0गंज ने संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत कामतोन कांसिया में आष्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु, परिक्षेत्र चिकलोद के वन कक्ष क्रमांक पी 801 की 0.044 हेक्टेयर वनभूमि, तथा परिक्षेत्र चिलवाहा, वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 429 की 0.083 हेक्टेयर एवं कक्ष क्रमांक आर.एफ. 428 की 0.034 हेक्टेयर, कुल 0.161 हेक्टेयर वनभूमि, आवेदक संस्थान बी.एस.एन.एल. भोपाल को उपयोग पर देने के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशांसा सहित प्रस्ताव, ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रकरण में व.म.अ. द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र, मार्ग के किनारे किनारे स्थित न होकर वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। अर्थात् प्रकरण Right of way का नहीं हैं। इस कारण व.म.अ. स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल ओ0गंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, सहमति सहित अवलोकनार्थ एवं अगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(रविन्द्र सक्सेना)

मुख्य वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल

भोपाल, दिनांक

02/01/2021
दिसम्बर-2020

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 02

प्रतिलिपि:-

1. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल ओ0गंज की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. SDO (Phones) BSNL City Bhopal, Bharat Sanchar Nigam Limited Bhopal की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(रविन्द्र सक्सेना)

मुख्य वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल